


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935

No. 2682]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

का.आ. 3530(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06 नवंबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया गया :

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं; अर्थात् :

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 6 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3323(अ) में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

क्र.सं.	राज्य सरकार के नाम	मनोनीत सदस्य का विवरण
24.	असम	प्रो. (डॉ) ध्रुवा ज्योति बोरा, प्रधानाचार्य व मुख्य अधीक्षक, जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, स्वाहिद कुशल कुंवर पथ, पीओ बारभेटा, जोरहाट - 785 001.
25.	बिहार	डॉ. राजीव रंजन, परामर्शदाता चिकित्सक, रोड नंबर 2, राजेंद्र नगर, पटना, सी -2, केशव, देवकी धाम अपार्टमेंट, पश्चिम नहर रोड, पटना बोरिंग - 800001.
26.	पुडुचेरी	डॉ. एस रॉबिन्सन मुस्कान, सर्जरी के प्रोफेसर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ईसीआर, पिल्लैयारकुप्पम्, पुडुचेरी - 605 011.

[सं. वी. 11013/1/2013-एमईपी-I (बोल-II)]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ.138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2013

S.O. 3530(E).—Whereas on 06th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the respective State Governments have nominated the following to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely:

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3323(E) dated the 06th November, 2013, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :

S. No.	Name of the State Government	Details of the Nominated Member
24.	Assam	Prof. (Dr.) Dhruba Jyoti Borah, Principal-cum-Chief Superintendent, Jorhat Medical College & Hospital, Swahid Kushal Kunwar Path, P.O. Barbheta, Jorhat-785 001.
25.	Bihar	Dr. Rajiva Ranjan, Consultant Physician, Road No. 2, Rajendra Nagar, Patna, C-2, Keshav, Devaki Dham Apartment, West Boring Canal Road, Patna - 800001.

26.	Puducherry	Dr. S. Robinson Smile, Professor of Surgery, Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, ECR, Pillaiyarkuppam, Puducherry - 605 011.
-----	------------	---

[No. V.11013/1/2013-MEP-I (Vol.II)]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

का.आ. 3531(अ).—जब कि भारतीय चिकित्सा परिषद; संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06 नवंबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया गया :

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं; अर्थात् :—

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 06 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3325(अ) में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	चुनाव का तरीका
21.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	डॉ. विनय कृष्ण, प्रोफेसर निदेशक, एलपीएस, कार्डियोलोजी, कानपुर के संस्थान, टी-IV/17, न्यू अधिकारी कालोनी, रावतपूर, कानपुर नगर.	सीनेट/ न्यायालय द्वारा निर्वाचित
22.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	डा. के.पी. कुशवाहा, विभाग के प्रमुख - बालचिकित्सा, कार्यवाहक प्राचार्य, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, रासीनगर, द्वितीय चरण, ए / 9, घरगोनवा, गोरखपुर	न्यायालय द्वारा निर्वाचित
23.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रोफ. राजीव सूद, विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग और नोडल कैंसर अधिकारी, डॉ. आर. एम. एल. अस्पताल और पी.जी.आई.एम. ई.आर., दिल्ली 151, क्लब रोड, सैनिक फार्मर्स, नई दिल्ली-110062	सीनेट/न्यायालय द्वारा निर्वाचित

24.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	डॉ. (प्रोफेसर) प्लावन मुखर्जी, प्रोफेसर और कार्डियो छाती रोगों और संवहनी सर्जरी विभाग, मेडिकल कॉलेज, 88 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता के प्रमुख 700 070 फ्लैट-3 सी, ब्लॉक बी, एस्टर रेजीडेंसी, 17, बेडियाडंगा 1 लेन, कोलकाता -700 039	कार्यकारी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
-----	---	---	--

[सं. वी. 11013/1/2013-एम ई पी-1 (वोल- II)]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2013

S.O. 3531(E).—Whereas on 06th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and as informed by the respective universities/health science universities, the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely:

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3325(E) dated the 06th November, 2013, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :

S.No.	Name of the University	Details of the Elected Member	Mode of Election
21.	Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur	Dr.Vinay Krishna, Professor Director, LPS, Institute of Cardiology, Kanpur, T-IV/17, New Officer Colony, Rawatpur, Kanpur Nagar.	Elected by Senate/Court
22.	Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur	Dr. K.P. Kushwaha, Head of Department – Paediatrics, Officiating Principal, B.R.D. Medical College, Gorakhpur, Rapti Nagar, Phase II, A/9, Ghargonwa, Gorakhpur	Elected by Court
23.	Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi	Prof. Rajeev Sood, HOD, Urology Department and Nodal Cancer Officer, Dr. RML Hospital & PGIMER, Delhi 151, Club Road, Sainik Farms, New Delhi-110 062	Elected by Senate/Court
24.	West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Dr. (Prof) Plaban Mukherjee, Professor & Head of the Department of Cardio Thoracic & Vascular Surgery, Medical College, 88 College Street, Kolkata-700 070 Flat-3C, Block-B, Aster Residency, 17, Bediadanga 1 st Lane, Kolkata-700 039	Elected Unanimously by Executive Council

[No. V.11013/1/2013-MEP-I (Vol.II)]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

का.आ. 3532(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद; संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 6 नवंबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद का पुनर्गठन किया गया :

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में पंजीकृत आयुर्विज्ञान स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया और निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं; अर्थात् :

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 6 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3324(अ) में अंतिम प्रविष्टि तथा तत्संबंधी प्रविष्टि में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

क्रम. सं.	पंजीकृत चिकित्सा स्नातक निर्वाचित क्षेत्र का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	निर्वाचन की प्रक्रिया
8.	दिल्ली	डॉ. विनय कुमार अग्रवाल, A-14/15, पुष्पांजलि, अपोजिट आनंद विहार, दिल्ली-110092	निर्वाचित
9.	कर्नाटक	डॉ. रवींद्र हेमवती, उपनिदेशक, कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी, सं 4-13/1, क्रिसेंट रोड, हाईग्राउंड, बंगलूरु -560 001 कलाश्री, निलय कृष्णा नगर, नजदीक रेलवे स्टेशन, पांडवपूरा ताल्लुक, पांडवपूरा, मांड्या जिला, कर्नाटक	निर्वाचित
10.	उत्तर प्रदेश	डॉ. के.के. गुप्ता, डी.जी. चिकित्सा शिक्षा, 10, गुलिस्तान कालोनी, लखनऊ.	निर्विरोध निर्वाचित

[सं. वी. 11013/1/2013-एम ई पी-I (वोल- II)]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2013

S.O. 3532(E).— Whereas on 06th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) has conducted the election from the Registered Medical Graduate Constituencies and the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely: -

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 3324(E) dated the 6th November, 2013, after the last entry and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:

S.No.	Name of the Registered Medical Graduate Constituency	Details of the Elected Member	Mode of Election
8.	Delhi	Dr. Vinay Kumar Aggarwal, A-14/15, Pushpanjali, Opp Anand Vihar, Delhi-110092	Elected
9.	Karnataka	Dr. Ravindra H.N., Deputy Director, Karnataka State AIDS Prevention Society, No. 4-13/1, Crescent Road, Highgrounds, Bangalore-560 001 Kalashree Nilaya, Krishna Nagar, Near Railway Station, Pandavapura Tq, Pandavapur, Mandya Dist., Karnataka	Elected
10.	Uttar Pradesh	Dr. K.K. Gupta, D.G. Medical Education, 10, Gulistan Colony, Lucknow.	Elected unopposed

[No. V.11013/1/2013-MEP-I (Vol.II)]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).